रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

राजभाषा निदेशालय

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने की दृष्टि से रेल अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएं एवं प्रतियोगिताएं आदि प्रचलित हैं, जो संक्षेप में निम्न प्रकार हैं. प्रत्येक योजना/प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए "रेल राजभाषा" पत्रिका का जनवरी-मार्च 2008 अंक देखें, अथवा रेलवे मुख्यालय से संपर्क करें.

रेल यात्रा वृत्तांत संबंधी दिशानिर्देश-

1	**प्रतियोगिता का नाम**	रेल यात्रा वृत्तांत
2	**पुरस्कार की राशि**	प्रथम पुरस्कार 4,000/-रु. द्वितीय पुरस्कार 3,000/-रु. तृतीय पुरस्कार 2,000/-रु.
3	**प्रस्तुतीकरण**	यात्रा वृत्तांत कागज के एक ओर डबल स्पेस में टाइप हो ना चाहिए जिसके चारों तरफ कम से कम एक इंच का हाशिया छोड़ा गया हो. यात्रा वृत्तांत कम से कम 3000 शब्दों में हो. यात्रा वृत्तांत के प्रारंभ में कागज की एक पूरी शीट लगाई जाए जिस पर बड़े अक्षरों में निम्न लिखित विवरण अंकित किए जाएं :- 1. शीर्षक : रेल यात्रा वृत्तांत 2. उपशीर्षक : लेखक द्वारा दिया गया शीर्षक 3. नाम : 4. पद नाम : 5. आयु : 6. पता : कार्यालय : निवास 7. मातृभाषा :
4	**पात्रता**	कोई भी भारतीय इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता

		है.
5	**यात्रा वृत्तांतों की संख्या**	प्रत्येक प्रतियोगी केवल एक यात्रा वृत्तांत 2 प्रतियों में प्रस्तुत करेगा. यात्रा वृत्तांत हिंदी भाषा में तथा मौलिक हो ना चाहिए.

रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता : निबंधन एवं शर्तें

1.	प्रतियोगिता का नाम	रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता.	
2.	पुरस्कार की राशि	प्रत्येक वर्ग के लिए 2-2 पुरस्कार	
		प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार
	1. राजपत्रित	5000/- रु .	3000/- रु.
	2. अराजपत्रित	5000/- रु .	3000/- रु.
3.	निबंध का आकार	निबंध 2500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए.	
4.	प्रस्तुतीकरण	निबंध कागज़ के एक ओर डबल स्पेस में टाइप किया हुआ हो ना चाहिए, जिसके चारों तरफ कम से कम एक इंच का हाशिया छुटा हुआ हो. पृष्ठ क्रमा नुसार अंकित होने चाहिए. निबंध के प्रारंभ में कागज़ की एक पूरी शीट लगायी जाएं, जिस पर बड़े अक्षरों में निम्न लिखित विवरण अंकित किया जाए : 1. रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता-200 - 2. नाम 3. पद नाम 4. विषय 5. कार्यालय का पता 6. मातृभाषा	
5.	पात्रता	कोई भी कर्मचारी, राजपत्रित/अराजपत्रित, ती न मही ने की रेल सेवा पूरी कर ली हो, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है.	

6.	प्रति व्यक्ति निबंधों की संख्या	प्रत्येक रेल कर्मचारी केवल एक निबंध (दो प्रतियों में) प्रस्तुत कर सकेगा.
7.	भेज ने की विधि	निबंध प्रधा न कार्यालय के माध्यम से बोर्ड को भेजे जाएं.
8.	मूल्यांक न की विधि	किसी क्षेत्रीय रेलवे या अ य इकाई में प्राप्त हो ने वाले सभी निबंध उस रेलवे या इकाई के महाप्रबंधक/कार्यालय प्रमुख द्वारा नामित (मुख्य राजभाषा अधिकारी सहित) ती न विभागाध्यक्षों की एक समिति द्वारा जांचे जाएं और अधिक से अधिक 5 चुनिन्दा निबंध बोर्ड को भेजे जाएं.

अखिल रेल हिंदी निबंध, वाक्, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं.

1. बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल रेल हिंदी निबंध, वाक् और टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में केवल वे अधिकारी तथा श्रेणी 2/3 कर्मचारी भाग ले सकेंगे जिहोंने क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया हो.

2. क्षेत्रीय स्तर अथवा अखिल रेल स्तर पर आयोजित उपर्युक्त तीनों प्रतियोगिताओं में से किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रतियोगी को पुन: एक वर्ष के बाद ही उस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.

3. हिंदी निबंध और वाक् प्रतियोगिताओं में केवल अहिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी ही भाग लेने के पात्र होंगे.

4. हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में केवल श्रेणी-II/III के विभिन्न भाषा-भाषी कर्मचारी/सभी अधिकारी भाग लेने के पात्र हैं.

5. हिंदी संगठन के अधिकारी/कर्मचारी इसमें भाग लेने के पात्र नहीं होंगे.

6. प्रत्येक प्रतियोगिता में 8 पुरस्कार नीचे दिए अनुसार दिए जाएंगे :-

    - प्रथम पुरस्कार (1) - 2000/-रु.
    - द्वितीय पुरस्कार (1) - 1600/-रु.
    - तृतीय पुरस्कार (1) - 1400/-रु.
    - सांत्वना पुरस्कार (5) - 1000/-रु.

अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव

रेल कर्मचारियों में हिंदी के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव का आयोजन किया जाता है. क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित - नाट्योत्सव में चुने गए सर्वश्रेष्ठ नाटक को ही अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव में शामिल किया जाता है. अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव संबंधी दिशा-निर्देश निम्न प्रकार हैं :-

1. प्रत्येक नाटक मंडली को स्टेज सजाने हेतु 10 मिनट का समय दिया जाएगा. नाटक मंचन के लिए पर्दा उठने से पर्दा गिरने तक 30 से 45 मिनट तक का समय होगा. स्टेज हटाने के लिए 5 मिनट दिए जाएगे. अधिक समय लेने पर अंक कटेगे.
2. मंच पर प्रदर्शन के लिए नाटक मंडली को प्रेक्षागृह में उपलब्ध प्रकाश व्यवस्था के अलावा अपनी प्रकाश व्यवस्था इस्तेमाल करने की छूट है किंतु अपेक्षित सभी उपस्करों की व्यवस्था स्वयं मंडली को करनी होगी. इसी प्रकार संगीत वाद्य-यंत्र भी मंडली को ही लाने होगे.
3. टेप रिकॉर्डर से पार्श्व गायन की अनुमति है, किंतु टीम को सभी आवश्यक उपस्कर लाने होगे और इहें बजाने के लिए अपने निजी प्रबंध करने होंगे.
4. केवल रेल कर्मचारी एवं उनके आश्रित कलाकार ही नाटक में भाग ले सकेंगे और पुरस्कृत किए जाएंगे.
5. निर्णायक समिति का निर्णय अंतिम होगा. यदि किसी विवाद के कारण निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो पाता तो निदेशक, राजभाषा का निर्णय माय होगा.
6. नाटकों में निम्नलिखित पुरस्कार होंगे :-

    1. सर्वश्रेष्ठ नाटक - पहला
    2. सर्वश्रेष्ठ नाटक - दूसरा
    3. सर्वश्रेष्ठ नाटक - तीसरा
    4. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
    5. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
    6. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
    7. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता
    8. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री
    9. सर्वश्रेष्ठ संगीत
    10. सर्वश्रेष्ठ ध्विन प्रभाव
    11. सर्वश्रेष्ठ मंच-सज्जा

12. सर्वश्रेष्ठ प्रकाश-परिकल्पना
13. सर्वश्रेष्ठ वेश-भूषा
14. सर्वश्रेष्ठ रूप-सज्जा
15. सर्वश्रेष्ठ उच्चारण (अहिंदी भाषा-भाषियों के लिए)

7. स्टेज सेटिंग के लिए निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी :-

1. कुर्सियां -10
2. ऑफिस कुर्सी -2
3. सोफा सेट -1
4. सेंट्रल टेबल -1
5. तख्त पोश -6
6. कारपेट -4 (छोटे वाले 6" x 3" आकार के(
7. दरियां -4
8. बेड -1
9. सफेद चादर -8
10. साइड टेबल -1

तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए नकद पुरस्कार योजना

तकनीकी रेल विषयों पर मूलरूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने के लिए प्रतिवर्ष निम्न लिखित पुरस्कार दिए जाते हैं :-

पुरस्कार	**पुरस्कार की संख्या**	**पुरस्कार की राशि**
प्रथम	एक	10,000/-रु.
द्वितीय	दो	5,000/-रु. प्रत्येक को
तृतीय	दो	3,000/-रु. प्रत्येक को
सांत्व ना	दो	1,500/-रु. प्रत्येक को

1. उपर्युक्त योजना में रेल कर्मियों के अतिरिक्त गैर रेलवे व्यक्ति/ लेखक भी भाग ले सकते हैं.

2. पुस्तक मौलिक रचना होनी चाहिए अर्थात् किसी अन्य भाषा में लिखी गयी पुस्तक का अनुवाद न हो.
3. जिस मौलिक पुस्तक को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाए वह पुस्तक पुरस्कार के वर्ष से पिछले तीन वर्षों में लिखी गयी अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए.
4. पुस्तक का विषय रेल संचालन या रेल प्रबंध से संबंधित होना चाहिए.
5. इस योजना में प्रकाशित पुस्तकों और पाण्डुलिपि दोनों पर विचार किया जाएगा.

प्रेमचंद और मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना

हिंदी में कथा, उपयास और काव्य पर पुस्तकें लिखने के लिए नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष निम्नानुसार नकद पुरस्कार दिए जाते हैं :-

क्र.सं.	**विधा**	**पुरस्कार का नाम**	**पुरस्कार की संख्या**	**पुरस्कार की राशि**
1.	कथा संग्रह एवं उपन्यास	प्रेमचंद पुरस्कार	एक	10,000/-रु.
2.	काव्य संग्रह	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार	एक	10,000/-रु.

रेल मंत्रालय की प्रेमचंद और मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना

1. इस योजना के अंतर्गत केवल रेलकर्मी कवि या लेखक ही भाग लेने के पात्र होंगे.
2. पुरस्कार के वर्ष से तीन वर्ष पहले प्रकाशित/टंकित रचनाएं ही पुरस्कार हेतु स्वीकार की जाएंगी.

राजभाषा शील्डट्रॉफी/

रेल कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग-प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले रेलवे मुख्यालयों/उत्पादन कारखानों/आदर्श मंडल/वर्कशॉप के लिए प्रतिवर्ष रेल मंत्री राजभाषा शील्ड/ट्रॉफी तथा अय चल वैजयंती प्रदान की जाती है तथा हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने

वाले 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित आदर्श स्टेशन/वर्कशॉप कार्यालय को प्रति वर्ष रेल मंत्री राजभाषा शील्ड के साथ-साथ 7000-7000/-रु. नकद पुरस्कार भी प्रदान करने का प्रावधान है.

इस योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में प्रत्येक रेलवे, उत्पादन कारखाने, आदर्श मंडल, स्टेशन, वर्कशॉप में वर्ष के दौरान हिंदी में किए गए कार्यों का ब्यौरा मंगाया जाता है और प्रत्येक मद के लिए निर्धारित अधिकतम अंक के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है.

रेलों पर सामूहिक रूप से हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए "सामूहिक पुरस्कार योजना

सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत रेलवे के मुख्यालयों तथा उत्पादन कारखानों, अ.अ.मा.सं. तथा रेल मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए विभागों को प्रतिवर्ष 6,000रु. (छ: हजार रुपए), 4,000रु. (चार हजार रुपए) एवं 3,000रु. (तीन हजार रुपए) के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं जिहें संबंधित विभाग के क्रमश: 6, 5 और 6 कर्मचारियों में समान रूप से बांटा जाता है. पुरस्कारों का निर्णय निर्धारित प्रोफार्मा में संकलित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है.

सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना

रेल कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के लिए रेल मंत्रालय की राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना लागू है. विभिन्न रेलों, उत्पादन कारखानों आदि से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर बोर्ड के अनुमोदन से पुरस्कारों का निर्णय किया जाता है. प्रतिवर्ष 1000-1000रु. के 134 पुरस्कारों की व्यवस्था है. प्रत्येक रेलवे/उत्पादन कारखाने के पुरस्कारों की संख्या का कोटा निर्धारित है.